Ok"ki % 41(vad % 11 (uoEcj % 2019(eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

तेलंगाना सड़क परिवहन मजदूरों की हड़ताल

(रिपोर्ट पृ. 13)

विरोध और सुनसान हैदराबाद बस अड्डा

मुथूट फाइनेंस में हड़ताल और एकजुटता

(रिपोर्ट पृ. 8)

हड़ताल पर

केरल में हड़ताली मजदूर

एकजुटता में

तमिलनाडु

आंध्र प्रदेश

सम्पादकीय

खपत और उपभोग बढ़ाओ - उत्पादन बढ़ाओ; देश बचाओ

सीटू मजदूर

सीआईटीयू का मुखपत्र

नवम्बर 2019

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

~~के. हेमलता~~

कार्यकारी सम्पादक

~~जे. एंस. मजुमदार~~

सदस्य

~~तपन सेन,~~

एम. एल. मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस. राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

etnjk dh cMh thr	4
etnjk d cM l?k"k	12
m|kx ,o {k=	19
eknh ljdkj dh vkfFkd v;kX;rk	
& riu lu	24
miHkkDrk eY; lpdkd	26

lkj v/;;uk vkj fjikV l dk dguk g fd ukVcnh vkj th ,l Vh u vk|kfxd vkj —f"k nkuk gh mRiknuk dk Hkkjh udlku igpk;k gA ; nkuk gh {k= xHkhj lidV dk lkeuk dj jg gA enh d #>ku] mRiknu e fxjkoV d lkFk cM ieku ij jktxkjk d fNuu vkj cjktxkjh d c<r tku l [kn n'k dh vFk0;oLFkk xHkhj lidV e Qlh gA

mRiknu vkj miHkkx ,d nlj l tM g vkj ,d nt ij fuHkj Hkh gA oLrvk d miHkkx e deh vkuk vkfFkd enh dh e[; otg g A fjto cd v,Q bfM;k dh fjikV crkrh g fd ?kjy [kir dk Lrj uhp fxjk gA jk"Vh; ueuk lo{k.k dh fjikV e fn; x, vkdMk d goky l ukcy lEekfur vFk'kkL=h vfHkthr cuth u gky gh e dgk g fd ^^1970 d ckn igyh ckj Hkkjr e vklr [kir d Lrj e deh vkbl gA** bl [krj dk lidr ekuk tkuk pkfg,A dherk d ektnk Lrj d fglkc l n[k rk çfr 0;fä çfr ekg vklr [kp o"k 2014 e 1587 #i, gvk djrk Fkk tk 2017&18 e fxjdj 1524 #i; jg x;k gA

exj ctk; ?kjy [kir c<ku d] Hkktik ljdkj dkikjV l dk NV vkj lkxkr nu vkj cktkj d fu.k; d Hkjkl cBh gA vc eknh ljdkj etnjk dh dher ij dkikjV l dk yV dh vkj NV nu d bjkn l U;ure oru d lkFk NM [kkuh e yx xbl gA bl vkj de dj nu d fy, U;ure oru dk jk"Vh; ieku ij ,d tl oru & u'kuy yoy ¶ykj ot & l cny nuk pkgrh gA

bl fygkt l vkt d gkykr l ckgj fudyu d rhu lefUor dke fudyr gA U;ure oru vkj jktxkfjrk rFkk jktxkj e of?n(—f"k mRiknk dh ykHkdkjh dher vkj ,lk djd] fojkV turk d miHkkx d Lrj e c<kÙkjh djukA ;gh vke turk d vkxkeh & Lor= vkj lk> & l?k"kk dk çkFkfed vtMk gA ,lk djd gh o viu fgr&vf/kdkjk dh ifr d lkFk n'k dh vFk0;oLFkk e Hkh tku Qld ldr g vkj n'k dk cckn gku rFkk nlh&fon'kh dkikjV l d gkFkk fcdu l Hkh cpk ldr gA

blh l?k"k dk einku g 8 tuojh 2020 dh n'k0;kih gMrkyA

शोक संवेदना

कॉमरेड आर. श्रीनिवास को श्रद्धांजलि

एक बैठक में भाग लेने के दौरान दिल का दौरा पड़ने के कारण 11 अक्टूबर 2019 को बैंगलोर में अनुभवी ट्रेड यूनियन नेता कॉमरेड आर. श्रीनिवास के निधन पर सीटू ने शोक व्यक्त किया है।

कॉमरेड श्रीनिवास बैंगलोर में बीपीएल में सीटू यूनियन के नेता थे और 1998 में ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्हें प्रबंधन द्वारा पीड़ित किया गया और झूठे मामले में फंसाया गया था जिसके लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने 16 साल से अधिक समय जेल में बिताया था और 2016 में ही उन्हें रिहा किया गया था। वह मजदूर वर्ग के हितों के लिए प्रतिबद्ध थे और रिहाई के तुरंत बाद, बंगलौर शहर में ट्रेड यूनियन गतिविधियों में सक्रिय हो गए। वह सीटू कर्नाटक राज्य समिति के उपाध्यक्ष थे।

सीटू ने अपने सभी साथियों और परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

भारत
पैमानों पर नीचे जा रहा है

- यूनिसेफ की रिपोर्ट 'विश्व में बच्चों के हालात 2019', जो 16 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित हुई, यह बताती है कि भारत में कुपोषण से 5 साल से कम उम्र के 69% बच्चों की मौत हुई है।
- प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार, ''भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों के लिए कुपोषण का जारी रहना अंतर्निहित जोखिम कारक है और 2017 में ऐसी मौतों में 68.2% का योगदान है।''
- यूनिसेफ की उपरोक्त रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में हर दूसरी महिला रक्तहीनता से पीड़ित है।
- भारत 117 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में, 2018 में अपनी स्थिति से खिसककर और अपने पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे 102वें स्थान पर पहुंच गया है।
- आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, मार्च 2017 के अंत में, सकल बैंक उपभोक्ता सामान ऋण पिछले 6 वर्षों से निरंतर वृद्धि के साथ रु .20,791 करोड़ रहा। लेकिन, नोटबन्दी के बाद, यह सितंबर 2019 तक 73% तक गिर गया है – वित्त वर्ष 2017–18 में 5.2% और 2018–19 में आश्चर्यजनक रूप से 68%रहा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लोन में 10.7% की गिरावट जारी है।
- मोदी सरकार के पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान सरकार के कुल कर्ज का बोझ 49% बढ़कर 82 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिसका खुलासा 11 अक्टूबर, 2019 को जारी सरकारी कर्ज के स्थिति पत्र में हुआ है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) से पता चलता है –

  2019–20 के अप्रैल–जुलाई की अवधि में विनिर्माण में आईआईपी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 5.6% की तुलना में घटकर 2.8% हो गई; अप्रैल–जुलाई के लिए समग्र आईआईपी वृद्धि में पिछले वर्ष 5.4% से 3.3%की गिरावट; पिछले वर्ष की इसी अवधि में 7.1% वृद्धि के मुकाबले पूँजीगत बस्तुओं का उत्पादन ..... % सिकुड़ गया; – उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में इसी अवधि में 2.7% की कमी हुई।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट 2019 की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट में भारत को एक वर्ष में 10 कदमों की गिरावट के साथ 68वें स्थान पर दर्ज किया गया है।

मजदूरों की बड़ी जीतें

दिल्ली में न्यूनतम वेतन–अब 15,000 रुपये से अधिक;

उच्चतम् न्यायालय ने दिया भुगतान का आदेश

''कर्मचारी सभी समय और सभी परिस्थितियों में न्यूनतम वेतन पाने के हकदार हैं। एक नियोक्ता जो न्यूनतम वेतन नहीं दे सकता उसे श्रमिकों को काम पर लगाने का अधिकार नहीं है और उसका उद्योग चलाना न्यायाचित नहीं है।'' उच्च न्यायालय का फैसला, 1991

14 अक्टूबर, 2019 को एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (आइ एल सी) की सिफारिशों और 1991 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार न्यूनतम वेतन निर्धारण के मापदंड को उचित बताते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नवम्बर, 2018 के मूल्य स्तर पर अकुशल मजदूरों के लिए 14,842 रुपये न्यूनतम वेतन को सही ठहराया है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को उसकी अधिसूचना पर आगे बढ़ने के लिए कहा है। न्यूनतम वेतन पर इस अधिसूचना के अनुसार, अकुशल मजदूरों के लिए सबसे कम न्यूनतम वेतन 14,842 रुपये जमा मूल्य सूचकांक पर आधारित मंहगाई भत्ता (डी ए) होगा। यह 15000 रुपये प्रतिमाह से अधिक होगा जो समूचे एन सी आर में सबसे अधिक होगा। इससे एनसीटी दिल्ली में लाखों मजदूरों को लाभ होगा।

15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों व 1991 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 18000 रुपये की 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के बाद; सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों ने सभी के लिए जनवरी, 2016 के मूल्य स्तर पर 18000 रुपये न्यूनतम वेतन की माँग उठायी और 2016 की मजदूरों की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल इस माँग को उठाते हुए की; पहली बार सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी की पहल पर तथा संयुक्त रुप से सभी ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाये जाने से दिल्ली में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने 15वें आइ एल सी के मापदंड व 1991 के सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के आधार पर न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया (सीटू मजदूर, मई, 2017)। तद्नुसार दिल्ली सरकार ने 3 मार्च, 2017 को 37 प्रतिशत वेतन वृद्धि के साथ न्यूनतम वेतन की अधिसूचना जारी की।

इस अधिसूचना को नियोक्ताओं द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने प्रमुखतः नियोक्ताओं द्वारा न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में समुचित प्रतिनिधित्व न होने की दलील के आधार पर अधिसूचना को रद्द कर दिया। दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी। सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी ने इस मामले में हस्तक्षेपकारी पक्ष के रुप में अपनी राय कोर्ट के सामने रखी।

सुप्रीमकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में 31 अक्टूबर, 2018 को न्यूनतम वेतन पर 3 मार्च, 2017 की अधिसूचना को अगले आदेश तक लागू करने का; कानून के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर सलाहकार बोर्ड को पुनर्गठित कर फिर से न्यूनतम वेतन निर्धारित अधिसूचना के मसविदे को सुप्रीमकोर्ट में दालिख करने का आदेश दिया। (सीटू मजदूर, दिसम्बर, 2018)

तद्नुसार, ज्यादा प्रतिनिधित्व के साथ न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड को फिर से गठित किया गया जिसमें नियोक्ताओं व कर्मचारियों की ओर से 15–15 सदस्य तथा दो स्वतंत्र विशेषज्ञों को शामिल किया गया; इसकी 4 बैठकें हुई; इसने नवम्बर 2018 के मूल्य स्तर पर न्यूनतम वेतन तय किया और अधिसूचना का मसविदा सुप्रीमकोर्ट में दाखिल किया। सीटू ने बहुत से नियोक्ताओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम् वेतन न दियें जाने पर अलग से सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की पालना न किये जाने को लेकर एक अतिरिक्त याचिका दाखिल की।

न्यायाधीशों, यू यू ललित व अनिरुद्ध बोस की सुप्रीमकोर्ट की खंडपीठ ने एन.सी.टी. दिल्ली की सरकार द्वारा दाखिल जवाब के प्रासंगिक हिस्से को अपने आदेश में यूं उद्घृत किया–

''खाने के सामानों व कपड़ों के घटक के औसत मूल्यों व अन्य घटको यथा– आवास, बिजली व ईंधन तथा शिक्षा/सामाजिक जिम्मेदारी के लिए दिये प्रतिशत के आधार पर जैसा कि 1957 के आइ.एल.सी. द्वारा तय किया गया और मजदूरों के प्रतिनिधि सचिव बनाम रप्ताकोश ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन व अन्य के शीर्षक वाली 1991 की दीवानी अपील संख्या 4336 में माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा सही ठहराया गया, विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों, सुपरवाईजरों व क्लेरिकल स्टॉफ के प्रस्तावित न्यूनतम वेतन की निम्नालिखित दरें दिल्ली में सभी अनुसूचित रोजगारों के लिए तैयार की गयी है, जो इस प्रकार है:

रोजगार की अनुसूची	मजदूरों/कर्मचारियों की श्रेणी	वेतन की न्यूनतम दरें रुपयों में	
		प्रतिमाह (रुपये में)	प्रतिदिन (रुपये में)
सभी अनुसूचित रोजगार	अकुशल	14,842/–	571/–
	अर्धकुशल	1,6341/–	629/–
	कुशल	17,991/–	692/–
	सभी अनुसूचित रोजगार क्लेरिकल व सुपरवाईजरी स्टॉफ		
	दसवीं से कम पढ़े	16,341/–	629/–
	दसवीं मगर,स्नातक नहीं	17,991/–	692/–
	स्नातक व उससे ऊपर	19,572/–	753/–

'भुगतान करने की क्षमता' की नियोक्ताओं की दलील को खारिज करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने न्यूनतम वेतन के बारे में अपने ऐतिहासिक निर्णय में 1991 में कहा था, 'वेतन संरचना जो उपरोक्त 6 घटकों के बारे में लगभग उत्तर देती है, वह जिन्दा रहने के स्तर के न्यूनतम वेतन से अधिक कुछ नहीं है। कर्मचारी सभी समय व सभी परिस्थितियों में न्यूनतम वेतन पाने के हकदार हैं। एक नियोक्ता को जो, न्यूनतम वेतन नहीं दे सकता है मजदूरों को काम पर रखने का अधिकार नहीं है और उसके द्वारा उद्योग चलाने का कोई औचित्य नहीं है।''

14 अक्टूबर, 2019 के अपने निर्णय में सुप्रीमकोर्ट ने एन.सी.टी. दिल्ली सरकार को सुप्रीमकोर्ट के समक्ष उसके द्वारा पेश मसविदे के अनुसार न्यूनतम वेतन की अधिसूचना पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया और उच्च न्यायालय के आदेश तथा एस एल पी में आगे अन्य मुद्दों को मामले के पूर्ण निपटारे के लिए आगे सुनवाई के लिए रखा है। तदनुसार दिल्ली सरकार को उपरोक्त न्यूनतम वेतन को उसमें अक्टूबर, 2019 के औसत मूल्य स्तर पर मंहगाई भत्ता जोड़कर, जो 15,000 रुपये से अधिक होगा को अधिसूचित करना है।

सीटू ने एक बयान में मजदूरों को, अपनी दिल्ली राज्य कमेटी को तथा दिल्ली में अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की इकाईयों को 15वें आइ एल सी की सिफारिशों व सुप्रीमकोर्ट के 1991 के निर्णय के आधार पर न्यूनतम वेतन के लिए संयुक्त संघर्ष को सफलतापूर्वक आगे ले जाने के लिए बधाई दी; और अपनी अन्य राज्य समितियों से इस संबंध में दिल्ली के संयुक्त संघर्ष व ट्रेड यूनियनों के प्रयासों का अनुकरण करने का आह्वान किया।

छपते–छपते

ओएचएस पर कोड संसदीय स्थायी समिति में

ओएचएस (व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों पर कोड) पर विवादास्पद मसौदे को श्रम पर संसदीय स्थायी समिति के लिए भेजा गया है। 2019 के बजट सत्र में वेतन पर कोड के साथ ओएसएच पर बिल को रखा गया था। जबकि वेतन पर कोड को पारित किया गया, ओएचएस पर कोड लंबित रखा गया था। स्थायी समिति की बैठक 25 अक्टूबर को हुई, जिसमें अन्य के अलावा सीपीआई (एम) के सांसद ई. करीम, जो सीटू के राश्ट्रीय सचिव और केरल राज्य के महासचिव हैं, सीपीआई के के. सुब्बारायण, जो तमिलनाडु के एटक के प्रदेष अध्यक्ष हैं; डीएमके के एम. षनमुगम, जो एलपीएफ के राष्ट्रीय महासचिव हैं ने भाग लिया। स्थायी समिति की बैठक 11 नवंबर को होगी।

बी.एस.एन.एल. बचाओ, उसके कर्मचारियों को बचाओ

मजदूरों व कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे का आंदोलन

नियमों के मुताबिक जब महीने के आखिरी दिन तक सितम्बर का वेतन नहीं मिला तो बी एस एन एल के नाराज कर्मचारियों ने 1 अक्टूबर को तुरन्त विरोध प्रदर्शन शुरु कर दिया।

बी.एस.एन.एल.' (ए.यू.ए.बी.) की सभी यूनियनों व एसोसिएशनों ने 11 अक्टूबर को हुई अपनी बैठक में प्रयास कर बी एस एन एल कर्मचारियों व अधिकारियों का संयुक्त मंच गठित किया तथा स्थायी कर्मचारियों को सितम्बर माह का वेतन न दिये जाने; बी एस एन एल के बंद होने की ओर जाने की भ्रमित करने वाली सूचना व मीडिया प्रचार के लिए प्रबंधन व सरकार की भर्त्सना की।

बैठक में फैसला किया गया कि,सितम्बर के वेतन क तुरन्त भुगतान व प्रतिमाह के वेतन पर भुगतान;– ठेका/कैजुअल मजदूरों के वेतन का भुगतान; बिजली के बिलों के भुगतान, किरायों आदि; 4 जी स्पैक्ट्रम के तुरन्त आवंटन,वित्तीय मद्द/आसान ऋण तथा बी एस एन एल की भूमि की मुद्रीकरण नीति; तीसरे वेतन पुनर्निधारण समझौते, पेंशन रिवीजन व 30 प्रतिशत सुपरएन्यूशन लाभों आदि माँगों को लेकर 18 अक्टूबर से देशव्यापी भूख हड़ताल आंदोलन किया जायेगा।

यह तय किया गया कि सभी स्तरों पर ए यू ए बी घटकों का नेतृत्व भूख हड़ताल में भाग लेगा महासचिव कारपोरेट आफिस में; सर्किल सचिव व जिला सचिव क्रमशः सर्किल व एस एस ए कार्यालयों में भाग लेंगे। उस दिन सभी स्थानों पर भोजनावकाश के समय प्रदर्शन होंगें जिनमें सभी नॉन एक्जीक्यूटिव व एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों को शामिल किया जायेगा।

तथापि, 17 अक्टूबर को ए यू ए बी के नेतृत्व में यूनियनों व सी एंड एम डी, डायरेक्टर एच आर व अन्य डायरेक्टरों के बीच बातचीत की श्रंखला चली। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि सितम्बर का वेतन 23 अक्टूबर तक दे दिया जायेगा। बी एस एन एल के बंद होने की ओर जाने के बारे में गलत जानकारी व मीडिया प्रचान को खारिज करते हुए सी एंड एम डी ने पुनरोद्वार की योजना के बारे में बताया कि कई ओर से विरोध के बावजूद कई सकारात्मक कदम उठाये गये हैं। सी एंड एम डी ने संस्था के सम्मुख इस नाजुक घड़ी में सहयोग की अपील की। इस आश्वासन के बाद अगले दिन होने वाले आंदोलन को वापिस ले लिया गया। परिस्थिति की समीक्षा के लिए ए यू ए बी ने 30 अक्टूबर को पुनः बैठक करने का फैसला लिया है। (22.10.2019)

एम.टी.एन.एल. में वेतन भुगतान में देरी

मजदूरों–अधिकारियों द्वारा आंदोलन का फैसला

दिल्ली वे मुम्बई में सार्वजनिक क्षेत्र के टेलीकाम उपक्रम एम टी एन एल के 22000 कर्मचारियों को भी वेतन में देरी/भुगतान न करके उत्पीड़ित किया जा रहा है। कंपनी के नियम अनुसार महीने के अंतिम दिन वेतन का भुगतान करने की बजाय जुलाई का वेतन 20 अगस्त को दिया गया तथा अगस्त व सितम्बर का वेतन यह खबर लिखे जाने तक नहीं दिया गया था।

इसके विरोध में, एम टी एन एल के मजदूरों व अधिकारियों ने मिलकर 16 अक्टूबर को दिल्ली में इंडियागेट से प्रधानमंत्री आवास तक तथा मुंबई में आजाद मैदान से गवर्नर हाउस तक मोमबत्ती जुलूस निकालने का फैसला किया। प्रस्तावित विरोध पर प्रतिकिया स्वरुप प्रबंधन ने यूनियन/ एसासिएशन को यह वादा करते हुए पत्र जारी किया कि अगस्त का वेतन 25 अक्टूबर तक दे दिया जायेगा और प्रस्तावित आंदोलन को वापस लेने की अपील की। प्रबंधन के पत्र के बाद, मोमबत्ती जुलूसों को टाल दिया गया।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने कहा,'' जब केन्द्र सरकार ने पिछले हफ्ते केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का एलान किया जिससे सरकारी खजाने पर सालाना 16000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा तो एम टी एन एल व बी एस एन एल ने इसे अजीब बताया और कहा कि दोनों केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को कोई राहत प्रदान नहीं की।'' (22.10.2019)

बी.एस.एन.एल.– एम.टी.एन.एल. कर्मचारियों की जीत

सरकार ने मानी प्रमुख माँगें

लम्बे संघर्ष के बाद बी एस एन एल कर्मचारियों की तब बड़ी जीत हुई जब केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 23 अक्टूबर को कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियन बी एस एन एल एम्पलाइज यूनियन तथा बीएस एन एल, (ए यू ए बी) की सभी यूनियनों व एसोसिएशनों व मजदूरों व अधिकारियों के संगठनों की प्रमुख माँगों को मानते हुए वी एस एन एल के पुनरोद्वार की घोषणा की।

मंत्रिमंडल के फैसले के बाद एक प्रेस कांफ्रेस में केन्द्रीय संचारमंत्री रविशंकर प्रसाद को स्वीकार करना पड़ा कि '' बी एस एन एल का बने रहना राष्ट्र के रणनीतिक हित में है।''

कर्मचारियों की जिन माँगों को सरकार ने माना है उनमें, वी एस एन एल व एम टी एन एल को 4 जी स्पैक्ट्रम का आवंटन शामिल है। इसे एक महीने के भीतर दे दिया जायेगा। स्पैक्ट्रम आवंटन के लिए राशि बी एस एन एल के इक्विटी शेयरों व एम टी एन एल के प्रीफेरिक्शयल शेयरों के बदले में होगी।

सरकार ने 3 वर्ष में 37,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बी एस एन एल व एम टी एन एल की संपदा के मुद्रीकरण का भी फैसला किया है। इस संपदा में जमीन व भवन शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त,दोनों सार्वजनिक उपक्रमों को सरकारी गारंटी के साथ लम्बे समय के बांड के जरिये 15,000 करोड़ रुपये जुटाने की भी मंजूरी दी गई है।

भारत सरकार स्थायी व ठेका मजदूरों के बराबर वेतन भुगतान के लिए तुरन्त कोई राशि नहीं प्रदान करेगी व भविष्य में समय पर भुगतान सुनिश्चित तथापि, प्रेस कांफ्रेस में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत सरकार द्वारा 17,169 करोड़ रुपये के एक्स ग्रेशिया आंवटन के साथ 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए वी आर एस योजना का बढ़–चढ़कर एलान किया। जो भी हो, कारपोरेटाइजेशन के पहले पूर्व सरकारी कर्मचारियों के तौर पर इनकी पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य लाभ सरकार की जिम्मेदारी है।

मंत्रिमंडल ने सिद्धांत रुप में वी एस एन एल व एम टी एन एल के विलय को भी मंजूरी दे दी है। (24.10.2019)

मुथूट फाइनेंस में

मजदूरों की 52 दिनों की हड़ताल जीत के साथ समाप्त

केरल में मुथूट फाइनेंस के कर्मचारियों की 52 दिनों तक चली अनिश्चितकालीन हड़ताल 10 अक्टूबर,2019 को तब जीत के साथ खत्म हो गई जब प्रबंधन ने सीटू से संबद्ध – नॉन बैंकिंग एंड प्राइवेट फाइनेंस एम्पलाईज यूनियन के साथ, केरल उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक अधिवक्ता आयोग की उपस्थिति में एक समझौते पर दस्तखत किये।

उचित वेतन संरचना, तबादलों समेत उत्पीड़न व यूनियन के कर्ताधर्ताओं के उत्पीड़न की समाप्ति; तबादले की नीति को शामिल करते हुए एक पंजीकृत स्थायी आदेश व अन्य सेवा शर्तों आदि की मांगों को लेकर की गई इस हड़ताल का अग्रिम नोटिस दिया गया था।

राज्य श्रमायुक्त के सामने हड़ताल पूर्व समाधान प्रक्रिया के असफल हो जाने के बाद 20 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु हुई थी। प्रबंधन के अड़ियल रुख के कारण राज्य के श्रममंत्री द्वारा समाधान के प्रयास भी असफल रहे थे। 1800 कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने केरल भर में कंपनी के 11 क्षेत्रीय कार्यालयों व 611 ब्रांचों के कामकाज को पूरी तरह ठप्प कर दिया।

कंपनी के प्रबंध निदेशक जार्ज एलेक्जेंडर मुथूट ने अक्खड़ ढंग से कहा कि वह कंपनी में किसी यूनियन /यूनियन गतिविधियों को नहीं मानता और उसने केरल में कंपनी की शाखाओं को बंद करने की धमकी दी थी। प्रबंधन के इस अक्खड़पन के बाद मीडिया भी खुलकर हड़ताल ,यूनियन व सीटू के खिलाफ सामने आया और अनाप–शनाप झूठ फैलाया कि हड़ताल का नेतृत्व निहित स्वार्थों के हाथों में है कि कंपनी में पहले कभी हड़ताल नहीं हुई, कि थोड़े से कर्मचारी ही हड़ताल पर थे और यह कि हड़ताल में हड़तालियों द्वारा हिंसा की गयी आदि।

30 अगस्त को प्रेस कांफ्रेस में सीटू राज्य महासचिव इलामारन करीम,सांसद ने मीडिया के आरोपों का बिन्दुवार करारा जवाब दिया। ''मुथूट फाइनेंस का प्रबंधन आज भारतीय कानून के अंतर्गत अपने कर्मचारियों के यूनियन के अधिकार के खिलाफ है,'' करीम ने कहा। एक ओर तो प्रबंधन प्रचार कर रहा है कि यूनियन अल्पमत की प्रतिनीधि है,' दूसरी ओर उसने गुप्त मतदान के द्वारा रायशुमारी के प्रस्ताव को नकार दिया जिसकी केरल उच्च न्यायालय ने भी सिफारिश की जब प्रबंधन एक सप्ताह पूर्व उच्च न्यायालय में गया। करीम ने आरोप लगाया कि कंपनी में यूनियन बनने के बाद से ही प्रबंधन कर्मचारियों के साथ बदले की भावना से कार्रवाई कर रहा है। बहुत से कर्मचारियों का राज्य के बाहर तबादला कर दिया गया जबकि कुछ को बर्खास्तगी की धमकी दी गयी। कुछ को उनके जायज लाभों से वंचित किया गया। प्रबंधन ने पूर्व में हुए समझौते को भी मानने के इन्कार किया।

3 सितम्बर को यूनियन ने एरनाकुलम में कंपनी के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन व रैली की। प्रबंधन के द्वारा भाड़े पर लिए गये कुछ लोगों ने जिनमें अधिकतर कर्मचारी नहीं थे,रैली में घुसपैठ कर हड़ताली कर्मचारियों को धमकाया।

कर्मचारियों ने 2016 में यूनियन बनायी थी। प्रबंधन ने तुरंत ही 125 कर्मचारियों को तबादला, 40 अन्य को निलंबित कर बदले की कार्रवाई की थी जिसने नवगठित यूनियन को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य किया था। 17 दिन की हड़ताल के बाद राज्य के श्रममंत्री की उपस्थिति में एक समझौते पर पहुँचा गया था। कंपनी के पास कर्मचारियों के लिए कोई वेतन संरचना नहीं है। वेतन, कार्य निष्पादन पर आधारित है, कम व मनमाना है।

एकजुटता आंदोलन

सीटू केन्द्र : 2 अक्टूबर को,सीटू के अखिल भारतीय केन्द्र ने सामूहिक सौदेबाजी समेत कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन अधिकार, ठीक–ठाक सेवा शर्तों,एक स्थायी आदेश को पंजीकृत करने में असफल रहने जो एक वैद्यानिक आवश्यकता है, बड़े पैमाने पर उत्पीड़न तथा पूर्व में हुए समझौते को लागू करने से इनकार करने के लिए कंपनी प्रबंधन के मजदूर विरोधी रुख के लिए एक बयान जारी कर निंदा की। श्रमायुक्त द्वारा बातचीत के माध्यम से औद्योगिक विवाद को सुलझाने तथा राज्य के श्रममंत्री के हस्तक्षेप के भी सभी प्रयास असफल रहे।

सीटू ने देश भर में मजदूर वर्ग से मुथूट फाइनेंस के संघर्षरत कर्मचारियों की एकजुटता में खड़े होने का आह्वान करते हुए अपनी राज्य समितियों व यूनियनों को देश भर में एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए कहा।

तेलंगानाः सीटू की तेलंगाना राज्य समिति ने 30 सितम्बर को 13 जिलों में मुथूट फाइनेंस के 16 कार्यालयों पर प्रदर्शन किया; हजारों पर्चे बांटे गये। एक जिले में गोलमेज बैठक की गई। सभी जिलों में मुथूट फाइनेंस के कर्मचारियों के बीच पर्चे बांटे गये।

तमिलनाडुः सीटू की तमिलनाडु राज्य समिति ने तिरुपुर,कन्याकुमारी,कायेम्बटूर व थेणी जिलों के मुथूट फाइनेंस के कार्यालयों पर प्रदर्शन किये और ज्ञापन दिये। चेन्नै दक्षिण व चेन्ने उत्तर ने कंपनी के मुख्यालय को ज्ञापन भेजे। सीटू राज्य समिति ने भी कंपनी के मुख्य कार्यालय को विरोध पत्र भेजा।

समझौताः

अंततः 10 अक्टूबर को प्रबंधन द्वारा यूनियन को मान्यता तथा यूनियन व सामूहिक सौदेबाजी के मजदूरों के अधिकार को मान लेने के बाद एक समझौते में हड़ताल समाप्त हुई।

यह सहमति बनी कि उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के बाद प्रबंधन केरल सरकार की न्यूनतम वेतन अधिसूचना को लागू करेगा जिससे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि सुनिश्चित होगी। प्रत्येक कर्मचारी को अंतरिम राहत के रुप में अक्टूबर, 2019 से 500 रुपये की वेतन वृद्धि मिलेगी।

वेतन संरचना को स्वीकार करते हुए 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को 1 अप्रैल, 2019 से लागू किया जायेगा। 2018–19 के वित्त वर्ष के लिए वैधानिक बोनस भी तुरंत दिया जायेगा।

राज्य श्रम विभाग की मद्द से एक प्रमाणित व पंजीकृत स्थायी आदेश तैयार किया जायेगा जिसे प्रबंधन द्वारा जल्द ही लागू किया जायेगा। तब तक प्रबंधन केरल के मॉडल स्टैंडिग आर्डर का पालन करेगा तथा कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड, प्रोन्नति व सेवानिवृत्ति लाभों को नियमित करेगा।

प्रबंधन द्वारा निलंबन व बर्खास्तगी के सभी आदेश वापस लिये जायेंगे। प्रबंधन ने यह भी आश्वासन दिया कि हड़ताल में भाग लेने वालों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी।

दार्जिलिंग पहाड़ियों के चाय बागान; मजदूरों ने हासिल किया 20% बोनस

अक्टूबर में शुरु हुए त्योहारों के मौसम के ठीक पहले दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चाय बागानों के मजदूरों के लिए 20 प्रतिशत की माँग को लेकर राज्य के श्रममंत्री की उपस्थिति में त्रिपक्षीय बैठक असफल रही।

दार्जिलिंग की पहाड़ियों के चाय बागान मजदूरों की यूनियन के मंच के नेतृत्व में 20 प्रतिशत बोनस की माँग को लेकर पहाड़ियों के सभी 87 चाय बागानों के 80,000 मजदूर 4 अक्टूबर को सामूहिक छुट्टी पर चले गये। उस दिन, चाय बागानों के बंद रहने के साथ दार्जिलिंग नगर और आस–पास के इलाकों में दुकानें बंद और सड़के सूनी रही; उस दिन इस टूरिस्ट सीजन में दार्जिलिंग में 12 घंटे का बंद रखा गया।

यूनियन के नेताओं ने दार्जिलिंग नगर में 32 घंटे की भूख हड़ताल की। जी जे एम नेता ने आमरण अनशन की चेतावनी दी। पश्चिम बंगाल के दुवार व तराई क्षेत्रों के चाय बागान मजदूरों ने एकजुटता में प्रदर्शन किये।

राज्य श्रममंत्री ने तय त्रिपक्षीय बैठक की तारीख को 13 अक्टूबर से 11 अक्टूबर कर दिया। त्रिपक्षीय बैठक के बारे में दर्ज किया गया,'' परिस्थिति की गम्भीरता को देखते हुए और उसकी तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को आज दिनाँक 11.10.2019 को बुलाया गया है,''।

अतंत : 3 घंटे की लंबी चर्चा के बाद,'' पश्चिम बंगाल सरकार और दार्जिलिंग ,हिल्स टी प्लांटर्स एसोसिएशन शुक्रवार को दार्जिलिंग हिल्स के 87 चाय बागानों के मजदूरों की 20 प्रतिशत बोनस की माँग पर सहमत हुए,'' द् हिन्दु ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। यह सहमति बनी कि 20 प्रतिशत बोनस दो किश्तों में दिया जायेगा– 60 प्रतिशत दस दिन के अंदर तथा शेष 40 प्रतिशत के भुगतान की तारीख नवम्बर, 2019 में होने वाली त्रिपक्षीय बैठक में तय की जायेगी। तथापि, सीटू से संबद्ध दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट चायकमान मजदूर यूनियन के नेता, पूर्व सांसद समन पाठक ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार चाय बागान मजदूरों को बोनस 15 सितम्बर, 2019 तक देना होता है।

इंडकोसर्व में साढ़े तीन दशक बाद अधिसूचित हुआ न्यूनतम वेतन

तमिलनाडु प्लांटेशन वर्कर्स कोरिडिनेशन कमेटी व सीटू राज्य समिति के नेतृत्व में मजदूरों के हस्तक्षेप,माँग पर जोर देने व संघर्ष के बाद तमिलनाडु सरकार ने 14 अगस्त, 2019 को भारत में सबसे बड़ी टी कोरिडिनेशन फेडरेशन, इंडकोसर्व (तमिलनाडु स्मॉल टी ग्रोअर्स ' इंडस्ट्रियल कोपरिटिव टी फैक्टरीज फेडरेशन लिमिटेड) में न्यूनतम वेतन को अधिसूचित किया।

तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में इंडकोसर्व के तहत 16 फैक्टरियाँ हैं जिन्हें ' बॉट लीफ टी फैक्टरीज ' कहा जाता है। इन फैक्टरियों में कच्ची चाय पत्ती से चाय बनाने वाले 1450 मजदूरों को दशकों से न्यूनतम वेतन से वंचित रखा जा रहा था। उसके लिए इससे पहले न्यूनतम वेतन 36 रुपये बेसिक के साथ 1983 में अधिसूचित किया गया था जिसके विरोध में स्मॉल एंड टाइनी

टी ग्रोअर्स हाई कोर्ट से स्थगन आदेश ले आये थे। 2005 से यूनियनों व प्रबंधन ने मामूली अंतरिम भत्तों का भुगतान करने पर समझौता किया था। यहाँ तक कि बोनस का आधार भी यही था। ऐसी स्थिति 2016 तक जारी रही।

अब न्यूनतम वेतन अधिसूचित होने के बाद बॉट लीफ फैक्टरियों के मजदूरों को एक दिन का बेसिक पे जमा मंहगाई भत्ता 330 रुपये प्रतिदिन बैठेगा।

एम.पी.एस. लिमिटेड में आइटी सैक्टर कर्मचारियों की जीत

बैंगलोर में आइ टी सैक्टर की कंपनी एम.पी.एस लिमिटेड में फरवरी 2018 से चल रहा कर्मचारियों का लंबा संघर्ष तब जीत के साथ समाप्त हुआ जब 4 अक्टूबर, 2019 को इस बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रबंधन व कर्नाटक स्टेट आई टी/कंपनी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रही आइ टी ई एस एम्पलाइज यूनियन (के.आइ.टी.यू.) के बीच डी.एल.सी. की उपस्थिति में बैंगलोर में समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

इसके पहले, कंपनी के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे चीफ फाइनेंशियल मैनेजर व कंपनी के सचिव सुनीत मल्होत्रा, चीफ ऑपरेशनल आफिसर व इसकी बैंगलोर इकाई के मुखिया श्रीनिवास राव; तथा के आइ टी यू के प्रतिनिधियों,अध्यक्ष वी जे के नायर, महासचिव सूरज निदियांगा तथा उसकी एम पी एस यूनिट के पदाधिकारियों के बीच द्विपक्षीय चर्चा हुई थी।

समझौते के अनुसार,प्रबंधन ने 207 कर्मचारियों के बैंगलोर से देहरादून तबादले के आदेश को वापस ले लिया; कर्मचारियों का रुका हुआ अप्रेजल अप्रैल, 2018 से एरियर के साथ दिया जायेगा; सेलरी स्लिप व बोनस की गणना में अनियमितताओं को ठीक किया जायेगा; के.आई.टी.यू. एम पी एस यूनिट के अध्यक्ष एम एल श्रीधर समेत सभी चार बर्खास्त कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जायेगा।

कंपनी में कर्मचारियों का संघर्ष फरवरी, 2018 में तब शुरु हुआ जब प्रबंधन ने 207 कर्मचारियों का देहरादूर तबादला करने का निर्णय लिया, कंपनी ने कर्मचारियों को तबादला स्वीकार करने या बर्खास्त किये जाने की स्थिति बनाकर उत्पीड़ित किया। उन्हें एक– एक महीने की नोटिस पे के साथ इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। इस्तीफे से इनकार करने पर प्रबंधन ने बर्खास्तगी का रास्ता अपनाया। 20–25 वर्षों की सेवा देने वाले कितने ही वरिष्ठ कर्मचारियों को डराया–धमकाया गया व लगातार दबाव में रखा गया।

के आइ टी यू ने उत्पीड़न के विरुद्ध औद्योगिक विवाद खड़ा किया। 18 फरवरी, 2018 को के आइ टी यू,एमपी एस यूनिट की पहली जनरल बॉडी बैठक हुई जिसमें एक कमेटी बनाई गई तथा एम पी एस यूनिट के नव निर्वाचित अध्यक्ष एम एल श्रीधर सहित; उत्पीड़न के मामलों के खिलाफ औद्योगिक विवाद खड़ा किया गया।

विवाद के समाधान की प्रक्रिया में लंबित रहने के दौरान, प्रबंधन ने आई डी एक्ट का उल्लंघन करते हुए एम पी एस यूनिट के महासचिव होनेश गौड़ा समेत के आइ टी यू के 10 अन्य सदस्यों को बर्खास्त कर दिया। तुरन्त ही सैकड़ों कर्मचारी बाहर आ गये तथा कंपनी के गेट के सामने मोमबत्ती जुलूस प्रदर्शन किया। अगले दिन 18 सितम्बर, 2019 को यूनियन ने डी एल सी के सामने शिकायत याचिका दाखिल की।

डी.एल.सी. की सलाहनुसार, सितम्बर में प्रबंधन व यूनियन के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरु हुई। कई द्विपक्षी बैठकों व समाधान कोशिशों के बाद प्रबंधन यूनियन की माँगों से सहमत हुआ तथा समझौता हुआ व बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल किया गया।

के आइ टी यू ने इस जीत पर एम पी एस लि. के कर्मचारियों को बधाई दी। (22.10.2019)

नोटिस

17 अक्टूबर, 2019

- निम्नलिखित एजेन्डे पर चर्चा करने के लिए सीटू की 16वीं कॉन्फ्रेन्स 23–27 जनवरी, 2020 को चेन्नै, तमिलनाडु में आयोजित होगी।
- (1) शोक प्रस्ताव; (2) अध्यक्षीय भाषण; (3) महासचिव की रिपोर्ट; (4) वर्ष 2016, 17, 18 का आय–व्यय का विवरण; (5) चार विषयों पर कमीशन में चर्चा और उसकी रिपोर्ट; (6) प्रस्ताव; (7) पदाधिकारियों, जनरल कौंसिल और वर्किंग कमेटी का चुनाव; (8) अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय।
- सीटू जनरल कौंसिल की हासन मीटिंग के निर्णय के अनुसार 16वीं कॉन्फ्रेन्स के लिए डेलीगेशन वर्ष 2018 की सदस्यता के पूर्ण भुगतान के आधार होगा।
- कॉन्फ्रेन्स में प्रतिनिधियों की कुल संख्या, जिसमें सीटू सचिवालय के सदस्य, केंद्र के प्रतिनिधि और बिरादराना प्रतिनिधि सहित कुल 2000 होगी, इसके लिए 3050 की सदस्य संख्या पर एक प्रतिनिधि का अनुपात होगा।
- प्रतिनिधि शुल्क के रूप में रु० 1,800 प्रति प्रतिनिधि देय होगा।
- राज्य के प्रतिनिधिमंडल में महिलाओं का अनुपात राज्य में सीटू की महिला सदस्यता के अनुपात के बराबर होना चाहिए और महिला प्रतिनिधियों की संख्या राज्य कुल प्रतिनिधिमंडल में 25% से कम नहीं हो। यदि कोई निर्वाचित महिला प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेने में सक्षम नहीं है, तो उसके स्थान पर केवल महिला प्रतिनिधि ही होनी चाहिए न कि एक पुरुष प्रतिनिधि।
- कार्यरत मजदूरों, युवा श्रमिकों, एससी/एसटी और अल्पसंख्यक मजदूरों को प्रतिनिधिमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

ध्यान दें

1. सभी राज्य कमेटियों से अनुरोध है कि सभी प्रतिनिधियों के आने–जाने के यात्रा टिकटों को अग्रिम तोर पर भली भाँति बुक किया जाए, और उनके आगमन का विवरण स्वागत समिति को सूचित किया जाए।
2. सीटू की तमिलनाडु राज्य समिति ने प्रतिनिधियों के साथ जाने के इच्छुक परिवार के सदस्यों के लिए कोई व्यवस्था करने में असमर्थता व्यक्त की है। राज्य समिति केवल परिवार के सदस्यों के लिए भुगतान पर होटल में आवास प्राप्त करने में मदद कर सकती है, बशर्ते कि इस बारे में उन्हें पहले से सूचित किया जाता है।

स्वागत समिति का पता

rfeyukMq lhVw jkT; desVh	lEidZ uEcj
,- uYyf'koe fuokZ;e]	th- lqdekju] egklfpo & 9443569130
13] ekLd LVhV] pSikd]	,- lkUnjktu] v/;{k & 9841748076
pSUu & 600005	oh- dekj lg egklfpo & 9840819206
Qksu% 044&28410259]QSDl% 044&28511975	fFk#pYou] lg egklfpo & 9444577036
bZesy% citutn@gmail.com	d- lh- xkihdekj lfpo & 9443091730

तपन सेन

महासचिव

मजदूरों के बड़े संघर्ष

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम

अभूतपूर्व हड़ताल; अभूतपूर्व समर्थन

हड़ताल व सरकार द्वारा दमन

''एक सनसनीखेज कदम के रुप में, तेलंगाना सरकार ने रविवार को तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टी.एस.आर.टी.सी.) के 48,000 कर्मचारियों व मजदूरों को तब बर्खास्त कर देने की घोषणा की जब अपनी लंबित समस्याओं के समाधान की माँग करते हुए उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु कर दी,'' हिन्दुस्तान टाइम्स (एचटी) हैदराबाद 6 अक्टूबर, 2019। ''तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ रविवार शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद घोषणा की कि आर.टी.सी. में अब केवल 1,200 कर्मचारी हैं जिनमें वे शामिल है जो हड़ताल में शामिल नहीं हैं और वे जो सरकार द्वारा यूनियनों को हड़ताल समाप्त करने के लिए दिये गये समय रविवार शाम 6 बजे तक ड्यूटी पर लौट आये हैं।''

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, जो अक्सर स्वंय सनसनीखेज खबरें बनाते रहते हैं, अनजाने ही टी.आर.एस.आर.टी.सी. मजदूरों की संयुक्त हड़ताल की व्यापकता की पुष्टि कर दी। कुल 49,190 मजदूरों में से, 48,000 से ज्यादा मजदूर तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों व मजदूर यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) के आह्वान पर 5 अक्टूबर की सुबह से हड़ताल पर हैं। मुख्यमंत्री की भड़कने वाली प्रतिक्रिया से हड़ताल का गंभीर प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा मजदूरों को नौकरी से बर्खास्त किये जाने की घोषणा के बाद दो मजदूरों ने आत्महत्या कर ली और चार ने आत्महत्या का प्रयास किया।

हड़ताल कर रही यूनियनें, पड़ोसी राज्य आंध्रप्रदेश की तरह टी.एस.आर.टी.सी. के राज्य सरकार में विलय की माँग कर रही हैं, आंध्र में मजदूरों को सरकारी कर्मचारी माना गया है, सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 वर्ष तक बढ़ाने के साथ अन्य लाभ व आर.टी.सी. के बजट को भी बढ़ाया गया है। हड़ताली मजदूर अप्रैल, 2017 से लंबिल अपनी तनख्वाह पुनर्निधारण की तथा वर्कलोड को कम करने के लिए नई भर्ती करने आदि की भी माँग कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक टी.एस.आर.टी.सी. का बकाया 2400 करोड़ नहीं दिया है तथा निगम पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए डीजल पर टैक्स को कम करने के वादे को भी पूरा करने में सरकार असफल रही है, जे एस सी के अध्यक्ष ने कहा।

मुख्यमंत्री को पता है कि हड़ताल में भाग लेने के लिए इस तरह से टी.एस.आर.टी.सी. मजदूरों को बर्खास्त करना गैर–कानूनी है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही एक और गैर–कानूनी घोषणा यह की कि 'बर्खास्त' मजदूरों की जगह पर सरकार जो नई भर्ती करेगी उन्हें लिखित में देना होगा कि ''वे किसी कर्मचारी यूनियन में शामिल नहीं होंगे,'' एच.टी. ने उद्धघृत किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निजी बस वालों को सार्वजनिक–निजी भागेदारी के रुप में संचालन के लिए टी.एस.आर.टी.सी. में लाया जायेगा। ''अब से, आर.टी.सी. का आधा बेड़ा निजी बसों का होगा।''

एकजुटता में

7 अक्टूबर को एक बयान में सीटू ने मुख्यमंत्री के ऐसे सत्तावादी रवैये की तथा सरकार के दमनकारी कदमों की कड़ी भर्त्सना की तथा मजदूरों की सामूहिक बर्खास्तगी के फैसले को वापस लेकर मजदूरों की जायज माँगों के समाधान के लिए हड़ताली यूनियनों के साथ बातचीत की माँग की।

सरकार ने टी.एस.आर.टी.सी. के घाटे के लिए मजदूरों को दोषी ठहराते हुए उनकी जायज माँगों, जनवादी व ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला करने और हड़ताल को तोड़ने के लिए जे एस सी के संयुक्त संयोजक, तेलंगाना स्टॉफ एंड वर्कर्स फेडरेशन

(सीटू) के महासचिव, सीटू के राज्य पदाधिकारी वी.एस.राव तथा जे ए सी के अन्य दो संयुक्त संयोजकों की गिरफ्तारी समेत दमन का रास्ता अपनाया।

आर टी सी के घाटे का प्रमुख कारण, आर टी सी पर लगाई गई विभिन्न सरकारी सब्सिडियों के चलते निगम को रहे नुकसान की भरपाई करने में सरकार की असफलता है; केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाये जाने से डीजल की कीमतों का बढ़ना, केन्द्र व राज्य सरकार में बंटने वाली जी एस टी का थोपा जाना आदि निगम के घाटे के कारण हैं। चूंकि सरकार ने कोई जबाब नहीं दिया इसलिए जे ए सी ने 6 सितम्बर को नोटिस दिया और टीबारएस सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के चलते यूनियनों को हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा,सीटू ने अपने बयान में कहा।

सीटू ने अपनी राज्य समितियों,परिवहन सैक्टर की यूनियनों देश के मजदूरों से टी.एस.आर.टी.सी. के हड़ताली मजदूरों के साथ खड़े होने और एकजुटता कार्रवाईयाँ करने का आह्वान किया।

उसी दिन, 7 अक्टूबर को सीटू की ऑल इंडिया रोड ट्राँसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (ए आइ आर टी डब्लयू एफ), ने एक बयान जारी किया तथा उसके महासचिव व सीटू के राष्ट्रीय सचिव के के दिवाकरन अन्य पदाधिकारी अनबलगन के साथ हड़ताली मजदूरों के बीच हैदराबाद पहुँचे। वे, आत्महत्या करने वाले आर टी सी मजदूरों के परिवारों से मिले। ए आइ आर टी एफ ने अपने बयान में दमनकारी कदम उठाने, यूनियन नेताओं को गिरफ्तार करने तथा निजीकरण के लिए आर टी सी को तहस–नहस करने के लिए तेलंगाना सरकार की निंदा की।

सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ए के पद्मनाभन 18 अक्टूबर को हैदराबाद गये तथा हड़ताली यूनियन नेताओं से मुलाकात कर सीटू का समर्थन देते हुए जे ए सी नेताओं के साथ संवाद्दाता सम्मेलन को संबोधित किया।

यू एन आई के मुताबिक सी पी आइ (एम) पोलिट ब्यूरो के सदस्य बी वी राघवुंलु ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि सी पी आइ (एम) की केन्द्रीय समिति ने टी.एस.आर.टी.सी. की हड़ताल को अपना पूरा समर्थन व्यक्त करते हुए टी आर एस सरकार के दमन की निंदा की है।

तेलंगाना सरकार के खुले दमन का जवाब देने के लिए हड़ताली मजदूरों के साथ सभी जनवादी तबकों की खुली एकजुटता की जरुरत है। 12 अक्टूबर को जे ए सी के साथ सी पी आइ (एम) सी पी आइ, काँग्रेस,बी जे पी,तेलंगाना जन समिति व टी डी पी नेताओं की सर्वदलीय बैठक में आर टी सी मजदूरों के खिलाफ टी आर एस सरकार की कार्रवाई की निंदा की गई और 13 अक्टूबर को सड़कों पर खाना पकाते हुए जनभोज समेत 14 अक्टूबर को बस डिपो के सामने धरना व जन सभायें, 15 अक्टूबर को रास्ता रोको व मानव श्रंखला; तथा 19 अक्टूबर को तेलंगाना बंद के आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय किये गये।

राजनीतिक दलों के अलावा, राज्य सरकार कर्मचारी, ट्रेड यूनियनों, वकीलों के हिस्से व छात्र संघों ने ' भी हड़ताल व बंद को समर्थन व्यक्त किया।

केरल, तमिलनाड , पंजाब, हरियाणा , असम, समेत सीटू की कई राज्य समितियों ने रैलियाँ, धरने, प्रदर्शन, जनसभायें आदि कर टी.एस.आर.टी.सी. के साथ एकजुटता व्यक्त की।

टी.एस.आर.टी.सी. कर्मचारी यूनियनों के आह्वान पर शनिवार को सुबह से शाम तक रहे तेलंगाना बंद में राज्य की राजधानी में जनजीवन ठप्प हो गया। वारंगल, करीमनगर व मेडक जैसे तेलंगाना के जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार बंद के कारण सामान्य जन–जीवन प्रभावित हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सुवह क्षेत्र में कहीं से भी हिंसा की कोई बड़ी रिपोर्ट नहीं मिली थी।

बंद को छात्रों कर्मचारियों समेत जनता के विभिन्न तबकों का व्यापक समर्थन मिला।

अधिकतर बस डिपुओं पर भारी सुरक्षा के बीच 12 घंटे का बंद सुबह 5 बजे शुरु हुआ। हैदराबाद के सबसे बड़े बस अड्डे,महात्मा गांधी बस स्टेशन से तेलंगाना में या पड़ोसी राज्यों के किसी भी स्थान के लिए कोई बस नहीं चल रही थी।

बिजनेस लाइन ने खबर दी कि ओला व उबर के लगभग 50,000 चालकों ने भी अपनी माँगों को लेकर हड़ताल में भाग लियां उनकी माँग थी कि किराये में उन्हें बेहतर हिस्सा मिले तथा कैब चालक कल्याण बोर्ड बनाया जाये।

टी.एस.आर.टी.सी. की हड़ताल व राज्य बंद को देखते हुए सरकार ने सोमवार, 21 अक्टूबर तक स्कूल–कालेज बंद रखने की घोषण की।

सुबह ही पुलिस ने लगभग 40 यूनियन नेताओं व समर्थकों को एहतियातन कस्टडी में ले लिया था। राज्य भर में धरना व पिकेटिंग करते हुए कई राजनीतिक नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब जुबिली बस स्टैंड पर तेलंगाना जनसमिति के अध्यक्ष प्रो. एम कोडंरम व टी डी पी नेताओं व अन्य को गिरफ्तार किया गया।

उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप

16 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार व यूनियन नेताओं को बातचीत करने तथा 28 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा। सरकारी वकील ने कहा कि बातचीत संभव नहीं है, इस पर कोर्ट ने कहा कि 45 में से 50 प्रतिशत माँगों का कोई वित्तीय असर नहीं हैं और सरकार उन्हें सुनने और बातचीत करने से इनकार नहीं कर सकती। सरकार को सभी 49,190 कर्मचारियों को 21 अक्टूबर तक सितम्बर का वेतन देने का भी निर्देश दिया गया। (21.10.2019)

निजीकरण का प्रतिरोध

डी.एस.पी. मजदूरों के किया विदेशी परामर्शकों के प्रवेश का प्रतिरोध

21 अक्टूबर,सोमवार को दुर्गापुर स्टील प्लांट (डी एस पी) 'वाटसन गो बैक' के नारों से गूँज उठा। स्थायी व ठेका मजदूर अपनी संबद्धताओं से ऊपर उठकर प्लांट के अलग–अलग सैक्शनों से निकलकर एन एस पी सी एल के प्रशासनिक भवन के गेट की ओर दौड़ पड़े और वहाँ उन्होंने यू के की कंसलटेंसी फर्म–विल्स टॉवर वॉटसन के तीन प्रनिधियों को प्लांट के द्वार में प्रवेश करने से रोक दिया। अंततः विदेशी फर्म के निरीक्षकों को दुर्गापुर स्टील प्लांट से लौटना पड़ा।

वॉटसन कंपनी को, सेल और एन टी पी सी की आधी आधी संयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी– नेशनल सेल पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (एन एस पी सी एल) के दुर्गापुर,राऊरकेला,भिलाई के सेल के इस्पात संयन्त्रों के लिए बंधक पॉवर संयन्त्रों के लिए आकलन के लिए नियुक्त किया गया था। सरकार चोरी–छिपे एन एस पी सी एल का निजीकरण करने की कोशिश में हैं और

इसी के लिए इस यू के स्थिति कंसलटेंसी कंपनी को नियुक्त किया गया था। एन एस पी सी एल के चेयरमैन के एक गुप्त सर्कुलर से पता चलता है कि यह कवायद निजीकरण की दिशा में पहला कदम है और उसे सेल के दायरे में नहीं रखा जायेगा। (23.10.2019)

बैंकों के विलय के खिलाफ बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

दो प्रमुख यूनियनों– ए आइ बी ई ए व बी ई एफ आई के आह्वान पर सार्वजनिक व निजी बैंकों के कर्मचारी समूचे भारत में 22 अक्टूबर को 24 घंटे हड़ताल पर रहे। बैंक आफिसर्स एसोसिएशन –ए आइ बी ओ सी ने हड़ताल का समर्थन किया था। इंडियन एक्सप्रेस ने (23.1.2019) को खबर दी, ''सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, पुरानी पीढ़ी के कुछ निजी व विदेशी बैंकों के 4 लाख कर्मचारियों के द्वारा सार्वजनिक बैंकों के विलय की केन्द्र की योजना के विरोध में एक दिन की हड़ताल पर चले जाने से मंगलवार को देशभर में बैंकों का कामकाज आंशिक रुप से प्रभावित हुआ।''

आंध्रा बैंक,इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, सिंडीकेट बैंक,ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हड़ताल विशेष रुप से पूर्ण रही।

यह हड़ताल 10 राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक बैंकों के 4 में प्रस्तावित विलय करने और 6 बैंकों को बंद करने की योजना के विरोध में की गई थी। इसके साथ–साथ यह हड़ताल जारी बैंकिंग सुधारों, तथा सार्वजनिक ग्राहकों के लिए अधिक जुर्मानों व सेवा शुल्कों तथा भारी पैमाने पर फंसे कर्जों की वसूली न किये जाने के खिलाफ भी थी।

हड़ताल से बड़े स्तर पर कांऊटरों पर जमा व निकासी तथा चेकों का निस्तारण प्रभावित हुआ।

सीटू व अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों (बी एम एस को छोड़कर) ने अपने संयुक्त बयान में हड़ताल के साथ समर्थन व एकजुटता व्यक्त की और सरकार पर आरोप लगाया कि वह कारपोरेट से बड़े लोन की वसूली न कर पाने व विशाल राशि को बट्टे खाते में डालने, हेयरकट व छूटों तथा बैंकों के विलय से पैदा होने वाली समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है।

सीटू ने एक अलग बयान में केन्द्र की भाजपा सरकार की जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी नीतियों का प्रतिरोध करने के लिए की गई हड़ताल और उसे मिले व्यापक समर्थन के लिए हड़ताली बैंक कर्मियों को बधाई दी।

भाजपा सरकार का बैंकों के विलय का निर्णय राष्ट्र व अर्थव्यवस्था के विरुद्ध हे। यह विपदाकारी कदम बड़ी संख्या में बैंकों की शाखाओं को बंद करने के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवा क्षेत्र के दायरे को सिकोड़ने के लिए है जिससे रोजगार के साथ ही आम लोगों के लिए विशेषकर दूरदराज क्षेत्रों में बैंकों की सेवा भी बुरी तरह प्रभावित होगी। इसके साथ ही संबंधित बैंक और अधिक कमजोर हो जायेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि विदशी बैंकों समेत निजी क्षेत्र के बैंको को शहरी इलाकों में कहीं ज्यादा व्यापार मिलेगा और ग्रमीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बैंकिंग सेवा उलपब्ध नहीं होगी।

यही नहीं विभिन्न कल्याणकारी कदमों के लिए सरकार की अपनी डी बी टी योजना भी ग्रामीण क्षेत्रों में सिकुड़ जायेगी और बेकार हो जायेगी; इससे गरीबों को अपने वाजिब लाभों से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित रहना पड़ेगा।

पहले का अनुभव दिखाता है कि एस बी आइ में 5 एसोसिएट बैंकों के विलय के बाद, 2000 से ज्यादा शाखायें बंद हो चुकी हैं तथा मजदूरों की संख्या 2 वर्षों में 10 हजार कम हो गयी है। बैक ऑफ बडौदा में देना बैंक व विजया बैंक के विलय से 800 और शाखायें बंद होने जा रही हैं। बंद हो गयीं या बंद होने जा रही इन शाखाओं में से ज्यादातर ग्रामीण क्षत्रों में हैं जहाँ निजी बैंक कभी नही जाते।

दूसरी ओर, सरकार,कारपोरेट द्वारा न लौटाये गये कर्ज के रुप में बैंकों की धनराशि की लूट को इन्सॉलवेसी एंड बैकरप्सी कोड प्रोसीजर के माध्यम से वैध ठहरा रही है और पैसा मार लेने वालो का पक्ष लेने के लिए सार्वजनिक बैंकों की भारी धनराशि की बलि दे रही है। सरकार वास्तव में देश की वित्तीय सेवाओं के उस संजाल को तहस–नहस करने में लगी है जिसका बैंक व बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापक विस्तार हुआ, सीटू ने कहा।

एक अलग बयान में बेफी ने कहा कि गंभीर आर्थिक संकट का सामने खड़ी मोदी सरकार सार्वजनिक बैंकों को कमजोर व नष्ट करने के खतरनाक रास्ते पर चल रही है। यह सरकार पहले ही अपने द्वारा शुरु किये गये रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के जरिए कारपोरेट द्वारा बैंकों के पैसे की अभूवपूर्व लूट के द्वारा उन पर मारक हमला कर चुकी है। अब यह सरकार संसाधनों की और अधिक लूट को आसान बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय का मूर्खतापूर्ण कदम उठा रही है। बैंकों के नियम कायदों को धता बताने और कर्ज पर ब्याज की दर को 24 प्रतिशत तक पहुँचाने के लिए सरकार पी एस बी को एन बी एफ सी के जरिये लोन को–ओरिजिनेट करने व टाईअप करने के लिए बाध्य कर रही है। समाज के कमजोर तबके को और अधिक असहाय कर देने वाला यह एक खतरनाक कदम है जिससे वित्तीय समावेश के लिए पी एस बी की पहुँच सीमित हो जायेगी। ऐसे समय जब आर्थिक गतिविधि इतनी मंद है ऐसे में बैंक क्रेडिट को दोषपूर्ण क्षेत्रों की ओर धकेलना और पी एस बी को कमजोर करना एक अतिजोखिम वाला कदम है। (24.10.2919) – *आर कारुमलयन*

बीपीसीएल के निजीकरण के कदम का विरोध

भारत की राष्ट्रीय संपत्ति, दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी, जो 2019 में फॉर्च्यून सूची में दुनिया के सबसे बड़े निगमों में 275वें स्थान पर है और 2019 में, 7000 करोड़ से अधिक वार्षिक लाभ देने वाली भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) बिक्री के लिए है।

बीपीसीएल की मुंबई में, असम में नुमालीगढ़, केरल में कोच्चि और मध्य प्रदेश में बीना में चार तेल रिफाइनरियां हैं; और 15,054 पेट्रोल पंप और 6004 एलपीजी सेवा केंद्र हैं। बरमा–शैल कंपनी का राष्ट्रीयकरण 1976 में किया गया और यह बीपीसीएल बन गया था।

अगले साल के बजट घाटे को पूरा करने के लिए, मोदी –2 सरकार बीपीसीएल की बिक्री से रु० 60,000 करोड़ हासिल करने के लिए तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने पहले ही 30 अक्टूबर को निविदा जमा करने और 4 नवंबर को निविदा खोले जाने का विज्ञापन जारी किया है। सउदी अरब की अरामको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जैसी पेट्रोलियम कंपनियों ने बीपीसीएल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। मोदी के दरबारी मित्र अंबानी की रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड जाहिर तौर पर प्रमुख पसंद होगी। *(द्वारा: गणशक्ति)*

मजदूरों का विरोध

असमः बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी के निजीकरण के कदम और बीपीसीएल और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के प्रयास के खिलाफ विरोध; असम में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की राज्य इकाइयों की संयुक्त आह्वान पर; तेल शोधन और पेट्रोलियम परिवहन के मजदूरों ने 15 अक्टूबर की सुबह राज्य की राजधानी गुवाहाटी में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ क्रॉसिंग से जिला प्रषासन कार्यालय तक एक मार्च निकाला।

मजदूरों को रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर कई बैरिकेड लगाए। मजदूरों ने कई बार पुलिस की घेराबंदी तोड़ी और धरने पर बैठ गये और सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। बैठक के दौरान, अचानक पुलिस और सीआरएफ ने बैठक को तोड़ने के लिए बल का इस्तेमाल किया और 200 से अधिक मजदूरों और नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिसमें सीटू राज्य महासचिव तपन सरमा, नॉर्थ ईस्ट ऑयल वर्कर्स समन्वय समिति के संयोजक बीरेन कलिता, एटक के राज्य महासचिव फणीधर दास और एचएमएस के मनोरंजन सरकार, यूटीयूसी सचिव दिनेश कलिता, एआइसीसीटीयू के सचिव पंकज दास और कई यूनियनों और असम के राष्ट्रीय फेडरेशनों के नेता शामिल थे।

तमिलनाडुः तमिलनाडु में तिरुमल्लुर जिले के गुम्मिदिपुंडी में बीपीसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के सामने 19 अक्टूबर को धरने का आयोजन किया गया था, जिसमें तमिलनाडु पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (सीटू) के बैनर तले सभी स्थायी, ठेका, टैंकर लॉरी चालकों और डीलरों को शामिल किया गया था जिसका नेतृत्व इसके महासचिव के. विजयन ने किया।

केरलः 15 अक्टूबर से बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी के सामने सभी ट्रेड यूनियनों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिसका उद्घाटन दिग्गज सीटू नेता के.एन. रवींद्रनाथ ने किया और के.के. चंद्रन पिल्लई और के.एन. गोपीनाथ और अन्य सीटू नेताओं ने सम्बोधित किया।

बीपीसीएल के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल सहित देशव्यापी एकजुट विरोध कार्रवाहियों के बारे में निर्णय लेने के लिए सभी तेल ट्रेड यूनियन जल्द ही मुंबई में बैठक करने वाले हैं। (23.10.2019)

एच.ए.एल. मजदूरों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल

रक्षा मंत्रालय के तहत सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के 19,600 कर्मचारी 14 अक्टूबर, 2019 से इसके बेंगलुरु स्थिति मुख्यालय सहित 6 विभिन्न राज्यों में फैली अपनी सभी ईकाईयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जिनमें कर्नाटक में बेंगलुरु; महाराष्ट्र में नासिक; उत्तर प्रदेश में कोरवा, कानपुर और लखनऊ; ओडिशा में कोरापुट; तेलंगाना में हैदराबाद और केरल में कासरगोड शामिल हैं।

एचएएल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इंजन और उनके सामान के डिजाइन, विकास, निर्माण, मरम्मत और ओवरहॉल्स करता है। एचएएल सभी तीन भारतीय सशस्त्र बलों, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की सेवा करता है।

यह कंपनी के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी हड़ताल है, जिसका नेतृत्व ऑल इंडिया एचएएल ट्रेड यूनियन्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने किया है, जो अन्य मुद्दों के साथ ही साथ 1 जनवरी, 2017 से उचित वेतन संशोधन की माँग कर रही है। 33 महीने के बाद भी वेतन संशोधन में देरी हो रही है। यूनियनों का आरोप है कि जब अन्य सार्वजनिक सेवा उपक्रमों ने 2017 में मजदूरी में संशोधन किया है, एचएएल एकमात्र पीएसयू है जिसे सरकार ने छोड़ दिया है।

यह इस तथ्य के बावजूद है कि प्रबंधन द्वारा ''कंपनी की वित्तीय स्थिति, वर्तमान में, स्वस्थ'' बतायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2019 में, ... % की वृद्धि की है, जो उद्यम के कर्मचारियों के कठिन और समर्पित कार्य के कारण एक रिकॉर्ड है।

यूनियनों ने आरोप लगाया कि मजदूरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जबकि अधिकारियों को 15% फिटमेंट और 35% भत्तों का लाभ दिया गया है, मजदूरों को केवल 11% फिटमेंट और 22% भत्तों की पेशकश की गई है। यूनियनें बराबरी की माँग करती हैं।

14 अक्टूबर को एक बयान में सीटू की कर्नाटक राज्य समिति ने कहा कि एचएएल द्वारा एमएमआरसीए विनिर्माण से इनकार करने के बाद और तैयार विमान के राफेल सौदे की पृष्ठभूमि में एचएएल की अक्षमता का मीडिया अभियान के जरिये खराब औद्योगिक परियोजनाओं के खराब होने के कारण एचएएल को खराब करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है।

यूनियनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल से पहले ही पर्याप्त चेतावनी दे दी थी जिसे प्रबंधन और सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। इससे पहले, मजदूरों ने केवल प्रदर्शनकारी कार्यक्रमों का सहारा लिया। इसके बाद 27 जुलाई 2019 को टोकन हड़ताल की गई। ए.आइ.एच.ए.एल.टी.यू.सी.सी. का एक प्रतिनिधिमंडल रक्षा मंत्री से मिला। लेकिन, प्रबंधन और सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। और मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल का सहारा लेने को मजबूर हुए।

हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद एचएएल यूनियनों ने 23 अक्टूबर को हड़ताल और 24 अक्टूबर को नासिक में हड़ताल को वापस ले लिया। (24.10.2019)

उद्योग एवं क्षेत्र

सड़क परिवहन

राज्य सरकार के साथ ए.पी.एस.आर.टी.सी. का विलय

के. के. दिवाकरन

वाईएसआरसीपी की आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (ए.पी.एस.आर.टी.सी.) को सीधे अपने विभाग में विलय करने का फैसला किया।

ऐसे समय में, जब सरकारों की वर्तमान नीतियां सरकार को अपनी सभी जिम्मेदारियों से पीछे हटकर, निजीकरण और सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश को बढ़ावा देना और आउटसोर्सिंग करना है; आन्ध्र प्रदेश सरकार का यह निर्णय सकारात्मक है।

ए.पी.एस.आर.टी.सी. मजदूर प्रफुल्लित हैं। इसने सकारात्मक प्रभाव पैदा किया है और अन्य राज्य परिवहन निगमों के मजदूरों के बीच चर्चा हो रही है।

यह मांग क्यों सामने आई है

ए.पी.एस.आर.टी.सी. गंभीर वित्तीय संकट में है और मजदूरों को संकट का शिकार बनाया गया। कर्मचारियों की संख्या में कमी, कार्यभार में वृद्धि, मजदूरों का उत्पीड़न, सेवानिवृत्ति के समय हितलाभों का भुगतान न होना, सहकारी समिति, पीएफ आदि से बरामद किए गए मजदूरों के धन का उपयोग, आरटीसी मजदूरों का वेतन सरकारी कर्मचारियों के वेतन से काफी कम है।

वित्तीय संकट के क्या कारण हैं

दुनिया में कहीं भी, भारत को छोड़कर, सार्वजनिक परिवहन को राजकोष के लिए राजस्व का एक स्रोत माना जाता है। मोटर व्हीकल टैक्स को बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है। कुछ राज्यों में, एम.वी. टैक्स के अलावा, यात्री कर भी लगाया जाता है। दूसरे, वाहनों पर उत्पाद शुल्क, पुर्जों और डीजल पर बिक्री कर लगाया जाता है। तीसरे निजी ऑपरेटरों द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों का अवैध संचालन है। निजी ऑपरेटरों ने कान्ट्रेक्ट कैरिज परमिट प्राप्त किये है, लेकिन परमिट नियमों का उल्लंघन करते हुए स्टेज कैरिज के रूप में भी काम कर रहे हैं। चौथे यह है कि, एसटीयू सरकार के सामाजिक उत्तरदायित्व के एक हिस्से के रूप में दूरदराज गांव और पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने के लिए मजबूर हैं। ये सेवाएं बहुत कम कमाई वाले मार्ग हैं। ए.पी.एस.आर.टी.सी. का गठन आर.टी.सी. अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत भी किया जाता है। आर.टी.सी. अधिनियम के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों को 1:2 के अनुपात में पूँजी योगदान देना होता है। लेकिन 1988 के बाद से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक भी रुपया नहीं दिया गया है। इन सभी कारकों ने मिलकर ए.पी.एस.आर.टी.सी. और अन्य राज्य परिवहन निगमों को संकट में डाल दिया है।

आरटीसी अधिनियम 1950 के अधिनियमन की पृष्ठभूमि

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्षतिग्रस्त दुनिया का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, इसका अध्ययन करने के लिए कई समितियों (1943) का गठन किया गया। परिवहन पर उप–समिति ने ''नियमित, गतिशील और आरामदायक मोटर सेवा, रखरखाव और अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करने, सड़कों पर परिवहन की बाढ़ परिणामस्वरुप गलाकाट प्रतियोगिता को रोकने की चिंताओं, को लेकर सिफारिश और आग्रह किया कि जन सुविधाओं के लिए, ट्रैफिक और सेवा के घनत्व के साथ यात्रा करने को ट्रैफिक का समर्थन हो, आदि की आवश्यक शर्तों के परिणामस्वरूप बड़ी कंपनियों द्वारा छोटे मालिकों को हटाना अनिवार्य रूप से परिणाम होना चाहिए।

1945 में ट्रांसपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल की सिफारिशों का युध्दोपरान्त पुर्ननिर्माण कमेटी और ट्रांसपोर्ट पर युध्दोपरान्त नीति की कमेटी ने भी समर्थन किया, इन सिफारिशों ने कई राज्य सरकारों को व्यक्तिगत ऑपरेटरों को बड़ी इकाइयों में संगठित करने के लिए मजबूर और प्रोत्साहित करने के लिए मजबूर किया।

यद्यपि जूझते बस ऑपरेटरों को सहकारी समितियों के समूहों में लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह ऑपरेटरों के परस्पर विरोधी प्रयासों के कारण सफल नहीं हुआ। आजादी के समय भारत में यही स्थिति थी।

छोटे ऑपरेटरों को बड़ी इकाइयों में संगठित करने के सभी प्रयासों में विफल रहने के बाद, सरकार ने राज्य सरकारों को सार्वजनिक क्षेत्र में सड़क परिवहन निगम बनाने में सक्षम करने के लिए ''सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950'' लागू किया था। इस प्रकार आरटीसी अधिनियम ने बस परिवहन को सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग बनाने के कारण राज्य के हस्तक्षेप को सक्षम किया।

चूंकि गतिशीलता जीवन की गुणवत्ता का एक आंतरिक हिस्सा है, इसलिए सार्वजनिक सुविधा के रूप में परिवहन केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में राज्य की नीति का विषय बन जाता है। सार्वजनिक बस सेवाओं के संस्थापकों का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय बस सेवा प्रदान करके सामाजिक दायित्वों को पूरा करना था।

सामाजिक दायित्व की इस अवधारणा के साथ और जनता को बस सेवाएं प्रदान करने के लिए, लगभग सभी राज्यों में राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठन किया गया था और उन्होंने जनता की अच्छी तरह से सेवा की और राज्यों के विकास में भी बड़ा योगदान दिया। 11–01–1958 को ए.पी.एस.आर.टी.सी. के गठन से पहले, यह राज्य सरकार के विभाग के अधीन था।

नव उदारवादी नीतियों का प्रभाव

उपरोक्त सभी तथ्यों के बावजूद, 1990 के दशक की शुरुआत में, डॉ० ओरा, उप–सलाहकार, योजना आयोग ने राज्यों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए;

1) एसटीयू का कोई विस्तार नहीं होना चाहिए;

2) उन्हें धीरे–धीरे निजी क्षेत्रों के लिए जगह बनाना चाहिए, उनको छोड़कर जिन मामलों में निजी क्षेत्र के आने की संभावना नहीं है;

3) एसटीयू की परिचालन दक्षता में सुधार होना चाहिए।

इसने देश में एसटीयू के विनाश की नींव रखी, जिसके कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आरटीसी बंद हो गए। ओडिशा और बिहार में नाम के लिए कुछ बसें एसटीयू के अधीन हैं। अन्य सभी एसटीयू गंभीर संकट में हैं।

सरकार के अधीन होने पर क्या हो रहा है

अब तक, कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, परिवहन सरकार के अधीन है। वे अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, नागालैंड, सिक्किम और पंजाब हैं।

हरियाणाः हरियाणा में इस समय 3843 बसें हैं। लेकिन 2009 में 4160 बसें थीं। इसका मतलब है कि जब जनता की आबादी और यात्रा की जरूरतें बढ़ रही हैं, तो 317 बसों की कमी है। हरियाणा रोडवेज जनता की यात्रा की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है के बहाने, सरकार निजी ऑपरेटरों को परमिट देने के लिए या निजी बसों को किराए पर लेने के लिए बहुत गंभीर है, और हरियाणा रोडवेज द्वारा नई बसों की खरीद के लिए कोई पैसा नहीं है। मजदूरों को बोनस का भुगतान पिछले 4 वर्षों से लंबित है। मजदूरों पर उत्पीड़न और सजाऐं सरकारी कर्मचारियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहः सड़क पर केवल 300 बसें हैं और लगभग 100 बसें सड़क से दूर हैं। लोगों को निजी ऑपरेटरों की दया पर छोड़ दिया जाता है। सेवा नियमों का उल्लंघन के लिए अधिकारियों द्वारा मजदूरों को पीड़ित और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की सीमित संख्या में भी, ऐसे कैजुअल/ठेका कर्मचारी हैं जिन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है। अन्य छोटे उत्तर पूर्वी राज्य में भी ठीक नहीं हैं। मुख्य रूप से जनता को निजी ऑपरेटरों की दया पर छोड़ दिया जाता है। कुछ शहरी/नगरपालिका परिवहन निगम हैं जैसे अहमदाबाद, जयपुर, शोलापुर, पिंपरी आदि में। मुंबई में, यह बॉम्बे इलेक्ट्रिकल सप्लाई और ट्रांसपोर्ट है। इन सभी को धीरे–धीरे कमजोर किया जा रहा है और अप्रभावी बनाकर और निजी ऑपरेटरों के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है।

उत्तर क्या है

इसका जवाब जनता को सुरक्षित, आर्थिक, सस्ती और अच्छी तरह से समन्वित परिवहन प्रदान करना है। यह सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज के समय की जरूरत है कि जनता और राश्ट्र के प्रति सरकार की नीतियों को उलटा जाये।

उपाय

ए.पी.एस.आर.टी.सी. या किसी अन्य राज्य परिवहन निगम का विलय एक राजनीतिक निर्णय है। विलय के बाद स्वाभाविक रूप से मौजूदा ऋण और देनदारियां सरकार के साथ बन जाएगी। आम लोगों और मजदूरों को उम्मीद है कि सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और यात्रा की बढ़ती आवश्यकता का सामना करने के लिए सरकार के तहत बेड़े की ताकत का विस्तार होगा। पुरानी बसों को बदलने और बढ़ोत्तरी दोनों के वास्ते नई बसों की खरीद के लिए बजट के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

परिवहन कर्मचारी उच्च जोखिम को ध्यान में रखते हुए और मौसम की सभी चरम स्थितियों में काम करने के लिए, सरकारी कर्मचारियों की तुलना में अधिक वेतन के हकदार हैं। पहले चरण के रूप में वेतन और पेंशन को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान करने के वास्ते तुरंत संषोधित किया जाएगा। सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए सेवा शर्तों में सुधार किया जाएगा। यदि विलय होता है, तो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों को परिवहन कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित किया जाना चाहिए और अन्य अतिरिक्त लाभ, जो पहले से ही परिवहन कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं, को जारी रखा जाएगा।

एसटीयू या सरकारी विभाग के साथ विलय के बाद कार्गो/माल परिवहन को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, बड़ी पूंजी का निवेश किए बिना, कुछ एक बदलावों के बाद पुरानी हो चुकी बसों का विधिवत उपयोग किया जा सकता है। राज्य और केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण वस्तुओं और अन्य सरकारी सामग्रियों के परिवहन के लिए विधिवत व्यवस्था का समर्थन और सहयोग करेंगे। इससे अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने में बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी।

(दिवाकरन ए.आइ.आर.टी.डब्ल्यू.एफ. के महासचिव हैं)

निजी सुरक्षा

निजी सेवा उद्योग और मजदूर

देबांजन चक्रवर्ती

उद्योग की रूपरेखा

निजी सुरक्षा उद्योग के बारे में: भारत में निजी सुरक्षा उद्योग (पीएसआई) का तेजी से बढ़ता बाजार 2016 में रु० 57,000 करोड़ का था, जो 2020 में बढ़कर रु० 99,000 करोड़ हो गया और 2022 तक रु० 1.5 लाख करोड़ हो जाएगा, जिसमें 2018 में लगभग 89 लाख लोग शामिल थे, सबसे बड़े रोजगार में से एक है और जो सेना, नौसेना और वायु सेना की संयुक्त संख्या से अधिक है। इन्हें 22,000 से अधिक निजी सुरक्षा एजेंसियों (पीएसए) द्वारा नियुक्त किया जा रहा है और इनको अधिकांशतः भूतपूर्व सैनिकों द्वारा उनके पुनर्वास परियोजनाओं के रूप में प्रबंधित और चलाए जाता है। 8 प्रकार की निजी सुरक्षा नौकरियां हैं – निहत्थे सुरक्षा गार्ड, सशस्त्र सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा सुपरवाइजर पर्यवेक्षक, सीसीटीवी सुपरवाइजर, सुरक्षा अधिकारी, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी, कार्यभार प्रबंधक और जाँचकर्ता।

पीएसआई के मोटे तौर पर दो प्रमुख खंड हैं– सुरक्षा सेवा उद्योग (एसएसआई) और संबद्ध सेवाएं। एसएसआइ का एक प्रमुख हिस्सा है मानवयुक्त रखवाली जिसके बाद नगदी और इलेक्ट्रानिक सिक्युरिटी होता है।

मानवयुक्त रखवाली: एसएसआई में लगभग 75% मानवयुक्त रखवाली है; लगभग 20%–25% की हिस्सेदारी नकद सेवा प्रबंधन और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा सेवाओं की है। मानवयुक्त रखवाली सेवाओं के प्रमुख उपयोगकर्ता आईटी/आईटीईएस, खुदरा, वाणिज्यिक और विनिर्माण हैं। जबकि 41% मानवयुक्त रखवाली सेवाओं का उपयोग वाणिज्यिक क्षेत्र में किया जाता है, 39% आवासीय क्षेत्र में लगे हुए हैं।

नकद प्रबंधन सेवाएं: नकद प्रबंधन सेवाओं में शामिल हैं – बैंकों का एटीएम नेटवर्क – बैंक की शाखा नेटवर्क के भीतर नकदी और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं की आवाजाही – बड़े कॉरपोरेट रिटेल आउटलेट्स के लिए नकद पिक–अप और डिलीवरी आदि। बाजार के 75%–80% हिस्से को नियंत्रित करने वाले 7–8 प्रमुख खिलाड़ी हैं।

विनियम: पी.एस.ए. प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सीज रेग्यूलेशन एक्ट (पी.ए.एस.आर.ए.) 2005, शस्त्र अधिनियम 1959 और एफ.डी.आई. नीति द्वारा शासित हैं। सुरक्षा कर्मियों के बीच मजदूरों के लिए श्रम कानून न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, ईएसआई अधिनियम 1948, बोनस अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम आदि सहित लागू होते हैं।

जीएसटी का प्रभाव: जीएसटी का इस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस जी.एस.टी. शासन में, पी.एस.ए. व्यवसाय की संस्थाओं पर सेवा कर 15% की दर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। जबकि, जीएसटी लागू होने पर जीएसटी का भुगतान बिना किसी छूट के 18% है।

प्रमुख पी.एस.ए.: जी4एस (1.3 लाख कर्मचारी); टीओपीएस (1.3 लाख); एसआइएस (96,000), पेरेग्रिन (55,000) और सिक्यूरिटाज (35,000)। ये 5 कंपनियां मिलकर रु० 2212 करोड़ का राजस्व उत्पन्न करती हैं।

सुरक्षा मजदूरों की परिस्थितियाँ

बैंकों, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों जैसे कई स्थानों पर सुरक्षा गार्डों को ट्रेड यूनियन अधिकारों का लाभ मिलता है और वे न्यूनतम वेतन से अधिक कमाते हैं और ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, बोनस, श्रमिक मुआवजा आदि की सुरक्षा मिलती है।

लेकिन, निजी सुरक्षा उद्योग में बड़ी संख्या के बावजूद, मजदूरों पुरुष और महिलाएं दोनों की स्थिति दुखःद हैं – (1) बिना ओवरटाइम भुगतान के लंबे काम के घंटे, (2) अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी, (3) ईपीएफ, ईएसआई और ग्रेच्युटी अधिनियम आदि सामाजिक सुरक्षा कवरेज से वंचित।

काम के घंटे: बिना किसी ओवरटाइम भुगतान के काम के घंटे 10–12 घंटे प्रतिदिन लगभग अनिवार्य हैं।

न्यूनतम वेतन: 60%–70% मजदूर अधिसूचित न्यूनतम वेतन से वंचित हैं। ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में पीएसए सिक्योरिटी गार्ड्स को रु० 2500–रु० 4000 प्रति माह, जो केवल रु० 83–रु० 133 प्रति दिन का ही भुगतान करते हैं।

1 जनवरी 2019 को राज्य सरकारों ने निहत्थे सुरक्षा गार्डों के लिए न्यूनतम वेतन रु० 267–रु०330 प्रतिदिन अधिसूचित की है।

1 जनवरी 2019 को न्यूनतम वेतन की दरें, केंद्र सरकार ने निहत्थे के लिए रु० 572–रु० 697 प्रतिदिन और सशस्त्र सुरक्षा गार्डों के लिए रु० 617–रु० 738 प्रतिदिन के तौर पर क्षेत्र–वार अधिसूचित की हैं।

सामाजिक सुरक्षाः अधिकांश मजदूर ईपीएफ अधिनियम द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को कवर किया गया है, उनके पीएफ कटौती डीए को छोड़कर, केवल मूल वेतन पर ही की जाती है, ऐसा ही बहुराश्ट्रीय पीएसए द्वारा अमल किया जाता है।

केवल कुछ पीएसए ने अपने कर्मचारियों को ईएसआई अधिनियम के तहत कवर किया हुआ है। कुछ एक चिकित्सा भत्ता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन, विशाल बहुमत, लाखों की संख्या में सुरक्षा गार्डों को, ईएसआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखे गए हैं।

ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के हितलाभों को अधिकतम मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें मामूली से वैधानिक सेवानिवृत्ति लाभों से भी वंचित किया जा रहा है।

मजदूरों का यूनियनीकरण

निजी सुरक्षाकर्मियों को संगठित करने में ट्रेड यूनियनों की पहल में बहुत देरी हुई है। आज, मजदूरों की इस विषाल संख्या का मुश्किल से 5% ही यूनियनबद्ध है और उपरोक्त में से कुछ वैधानिक लाभ ही हासिल रक पर रहे हैं।

जबकि यूनियन या किसी भी ट्रेड यूनियन गतिविधियों के निर्माण के किसी भी प्रयास के प्रति सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कड़ा प्रतिरोध है। एक यूनियन के गठन को दबाने या यूनियन की गतिविधियों के आयोजन के लिए, प्रबंधनयूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बर्खास्तगी, स्थानांतरण और बड़े पैमाने पर छंटनी का सहारा लेते हैं;।

(देबांजन चक्रवर्ती सीटू पश्चिम बंगाल राज्य के सचिव और पश्चिम बंगाल सुरक्षा कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष हैं)

सुरक्षा चालकों ने नोएडा में प्रदर्शन किया

सीटू जिला अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा और महासचिव रामसागर के नेतृत्व में, नोएडा में पुलिस पीसीआर वैन के 129 ड्राइवरों ने 8 अगस्त को उप श्रमायुक्त के समक्ष सीटू के बैनर तले प्रदर्शन किया और अगले दिन प्रतिनिधिमंडल लेकर जिला मजिस्ट्रेट से मिले।

इन मजदूरों की भर्ती मैसर्स सुरक्षा फोर्स प्रा० लिमिटेड और मैसर्स सिक्योरिटी सॉल्यूशन और मैन पावर सर्विसेज ने पुलिस पीसीआर के लिए ड्राइवर के रूप में नोएडा और नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया में नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काम करने के लिए की है।

जब उन्हें जनवरी 2019 के बाद से वेतन का भुगतान नहीं किया गया, तो वे अपने 6 महीने के बकाया वेतन और श्रम कानूनों के तहत अन्य लाभों के लिए 26 जून को इन निजी सुरक्षा एजेंसियों से मिले। इन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उन्हें तुरंत सेवाओं से हटा दिया गया। इसके बाद, वे सामूहिक रूप से श्रम अधिकारियों और जिला प्रषासनिक अधिकारियों और अन्य लोगों से मिले और बिना किसी राहत के ही पिलर पोस्ट से चले गए। तब उन्होंने सीटू से सम्पर्क किया और सीटू ने इस प्रदर्षन का आयोजन किया और सीटू इन मजदूरों को यूनियन में को संगठित कर रहा है।

मोदी सरकार की आर्थिक अयोग्यता

तपन सेन

सीटू महासचिव तपन सेन ने 29 अगस्त को एक बयान में मोदी सरकार के सीपीएसई के अधिक विनिवेश और एफडीआई उदारीकरण के कार्यकारी निर्णय की निंदा की। ये निर्णय देश की स्वदेशी क्षमता और आर्थिक संप्रभुता को और अधिक बर्बाद कर देंगे।

''पिछले एक सप्ताह की अवधि के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार ने एक के बाद एक विनाशकारी उपायों को अपनाया, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर हो गई, जो पहले से ही विनाशकारी और साम्राज्यवादी नीतियों के कारण गंभीर संकट में है।''

सरकार ने अपने राजस्व व्यय अंतर को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक के आरक्षित निधि से 1 करोड़ 6 लाख रुपय को जबरन अपने खाते में हस्तांतरित करवा लिया, जो आरबीआई बोर्ड के शीर्ष पर बैठाये गए नौकरशाहों की बाध्यता टीम के माध्यम से संस्था की स्वायत्तता पर हमले के अलावा आर्थिक रूप से प्रतिषोधी भी है।

दूसरे, राजकोषीय घाटे पर विलाप करते हुए, वित्त मंत्री ने व्यापारी तबके को कई और रियायतें देने की घोषणा की, जैसे कि निवेश के लिए अन्य प्रोत्साहन के साथ, प्रत्यक्ष कर आदि पर अधिभार को वापस लेना और उधार मानदंडों का उदारीकरण करना आदि है। राष्ट्रीय खजाने की कीमत पर ही इस तरह की सीधी गिरावट की जा रही है; जबकि वास्तव में, बीजेपी के शासन के पिछले पांच वर्षों के दौरान निवेश में लगातार कमी हो रही है, लेकिन लगातार बजट के माध्यम से उन पर भारी रियायतों की बौछार की जा रही है।

तीसरे, एफडीआई को और अधिक उदार बनाया गया है और स्वचालित मार्ग के माध्यम से एफडीआई की मंजूरी को अर्थव्यवस्था के सभी रणनीतिक क्षेत्रों को कवर करते हुए लापरवाही से विस्तार किया गया है, जिसका रोजगार उन्मुख निवेश के बजाय अर्थव्यवस्था पर अधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के एफडीआई उदारीकरण के बजाय, विशेष रूप से वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में देश की आर्थिक संप्रभुता पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में सौ प्रतिशत एफडीआई को उचित ठहराया गया था और बेचे जाने वाले उत्पादों का 30% सोर्सिंग भारतीय निर्माताओं को करने के आधार पर पिछली भाजपा सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का दावा किया था। अब, घरेलू खुदरा व्यापार की कीमत पर, व्यापक रूप से चोरी की जगह छोड़ने के लिए, विदेशी व्यापारिक एजेंसियों के पक्ष में, बल्कि उस शर्त को पूरी तरह से कम कर दिया गया है। 30% सोर्सिंग की बाध्यता अब पांच साल में औसत हो सकती है, पहले तीन/चार वर्षों के लिए सोर्सिंग दायित्व को विकसित करने के लिए गेट खोलना और फिर कंपनी के साइन–बोर्ड को बदलना, निजी व्यवसाय द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसमें विदेशी संस्थाएं शामिल हैं की यह संदिग्ध कारगुजारी लंबे समय से जारी है ।

कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100% एफडीआइ के साथ ही साथ सभी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कोयला–खनन में 100% एफडीआइ की अनुमति देना – सभी स्वतः मार्ग के माध्यम से, राष्ट्रीय कोयला खनन के लिए एक गंभीर झटका होगा – सरकार द्वारा बनाई गई कई बाधाओं के बावजूद कोल इंडिया लिमिटेड जो लगातार अपने उत्पादन में सुधार का प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले, एफडीआई को केवल स्व–उपयोग के लिए निजी खनन के लिए अनुमति दी गई थी। अब उस बाधा को भी हटा दिया गया है जिससे विदेशी कंपनियां निर्यात सहित वाणिज्यिक खनन के लिए देश के कोयला संसाधनों पर नियंत्रण हासिल कर सकती हैं।

कोयला खनन क्षेत्र पर सरकार का यह पूरी तरह से प्रतिगामी कदम सार्वजनिक क्षेत्र के कोल इंडिया लिमिटेड को नए कोयला बहुल क्षेत्रों के आवंटन के साथ–साथ उत्पादन की लागत के क्षेत्र में समान अवसरों से वंचित करेगा। निर्यात के अधिकार के साथ देश के कोयला भंडार के एक बड़े हिस्से का 100% विदेशी नियंत्रण भी गंभीर रूप से बिजली और इस्पात, उर्वरक और अन्य क्षेत्रों में घरेलू खपत और औद्योगिक आवष्यकता दोनों के लिए कोयले की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की सुरक्षा को गंभीर रूप से बाधित करेगा। और वर्तमान भाजपा शासन के तहत, साम्राज्यवादी शक्तियों की भागीदारी की भूमिका निभाने

और हमेशा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी को बाध्य करने के लिए, यह स्वाभाविक है कि निजी तौर पर खनन के लिए नए कोयला बहुल क्षेत्र के आवंटन के संबंध में निजी और विदेषी खिलाड़ी के मुकाबले कोल इंडिया के साथ भेदभाव किया जाएगा।

चौथे, सरकार ने बहु–आयामी मार्गों के माध्यम से सीपीएसयू के निर्णायक निजीकरण के आत्मघाती संकल्प की घोषणा की है। स्टील, फार्मास्युटिकल, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री के अलावा, बाजार में सीपीएसयू की लगभग 60% या अधिक सरकारी इक्विटी को बेचने के लिए पहले से ही आक्रामक कदम उठाए गए हैं। इस अभ्यास की कुख्याति यह है कि बड़ी संपत्ति आधार और क्षमता के साथ बड़ी संख्या में सार्वजनिक उपक्रमों के नियंत्रण को निजी खिलाड़ियों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा और संबंधित सीपीएसयू को विनिवेष की बहुत छोटी खुराक के माध्यम से निजी कंपनियों में प्रभावी रूप से परिवर्तित किया जाएगा। 1.05 लाख करोड़ रुपये के अभूतपूर्व विनिवेश लक्ष्य का एहसास करने के लिए, वे सभी मानदंडों और स्थायी प्रथाओं को थता बता रहे हैं और आत्मघाती शॉर्टकट का सहारा ले रहे हैं। मीडिया में रिपोर्ट की गई लंबी बिकवाली सूची में रणनीतिक क्षेत्रों के सभी जो दोनों भौतिक और वित्तीय रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता शामिल हैं – आइओसी, एनटीपीसी, पावरग्रिड, ऑयल इंडिया, गेल, नालको, बीपीसीएल, ईआइएल, बीईएमएल आदि। इन सीपीएसयू में वर्तमान सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी 52% से कम या बहुत कम है। इसलिए बदसूरत योजना के तहत केवल निजी हाथों में शेयरों की बहुत छोटी खुराक के हस्तांतरण के माध्यम से इन सीपीएसयू को निजी उद्यमों में परिवर्तित करना है। देष की धनराषि निजी लाभ के लिए एक थाल में परोसी जाएगी।

अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट जो हर दिन गहराता जा रहा है की पृष्ठभूमि में, सरकार के ये कदम एक जानबूझकर विनाशकारी प्रक्रिया के माध्यम से ऐसी परिसंपत्तियों और उत्पादन संरचनाओं की लागत पर केवल और केवल दोनों ही विदेषी और घरेलू निजी कॉरपोरेटस् को लाभान्वित करने की हताशा को दर्शाते हैं।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर वर्तमान सरकार के ऐसे विनाशकारी आत्मघाती हमले के खिलाफ विरोध की आवाज उठाने के लिए सीटू जीवन के सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों और देशभक्त जनता का बड़े पैमाने पर आह्वान करता है। सीटू मजदूर वर्ग, विशेष रूप से संबंधित क्षेत्रों में उन लोगों को भी बुलाता है, जो देश की आर्थिक संप्रभुता पर इन नापाक और जनविरोधी योजनाओं एवं घातक हमले की तत्काल जद में हैं।

न्यूनतम वेतन पर अपनी ही विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को भाजपा सरकार ने खारिज कर दिया;

फ्लोर लेवल वेज के विकल्प को अपना रही है

केंद्र सरकार ने वी.वी. गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर के फेलो अनूप सत्पथी के नेतष्त्व में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। आइएलओ के प्रतिनिधि भी इसके लिए एकीकृत थे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बहुत ही उत्साह के साथ ''राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली का निर्धारण'' शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की।

विशेषज्ञ समिति ने जुलाई 2018 के मूल्यों पर राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन रु० 9,750 प्रतिमाह/रु० 375 प्रतिदिन और चार क्षेत्रीय स्तरों पर रु० 8,892 – रु० 11, 622 की सिफारिष की थी।

सीटू ने इस रिपोर्ट की आलोचना की है कि न्यूनतम वेतन निर्धारण की 5 मानदंड की कार्यप्रणाली जो 15वें श्रम सम्मेलन से स्वीकृत थी जिसमें एक और मानदंड जोड़ते हुए 6 मानदंड़ का बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1991 के फैसले में सुधार किया को बदलना सुधार तो नहीं है। 14 अक्टूबर, 2019 के आदेष में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर 15वें श्रम सम्मेलन और एससी 1991 मानदंडों को बरकरार रखा और नवंबर 2018 में एनसीटीई दिल्ली के लिए न्यूनतम मजदूरी के रूप में रु० 1,4,842 निर्धारित किया।

जबकि, मोदी सरकार इन सभी को नियोक्ताओं के पक्ष में उलटना चाहती है। 7 सितंबर, 2019 को टेलीग्राफ ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। संसद द्वारा वेतन पर संहिता को मंजूरी देने के बाद, केंद्र सरकार राश्ट्रीय 'फ्लोर लेवल वेज' के लिए 'न्यूनतम वेतन' को अनसुना करने के लिए तैयार है।

वेतन पर संहिता के तहत, सरकार राश्ट्रीय तल स्तर की वेतन तय कर सकती है। मोदी सरकार ने इस फ्लोर लेवल वेज को ठीक करने के लिए नौकरषाहों की कमेटी नियुक्त करने का फैसला किया है। (25.10.2019)

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dn	tykbZ 2019	vxLr 2019
vk/k izns'k	xq.Vwj	295	294
	fot;okM+k	303	298
	fo'kk[kkiÿkue	299	299
vle	MeMek fruliqj[k;k	286	292
	xqokgkVh	286	287
	ycd flYpj	279	279
	efj;kuh tkjgkV	266	271
	jxkikjk rstiqj	262	263
fcgkj	esQ?kj&tekyiqj	354	352
p.Mhx<+	p.Mhx<+	317	318
NÿkhlxM+	fHkykbZ	332	331
fnYyh	fnYyh	307	308
Xkkvk	xkvk	342	334
Xkqtjkr	vgenkckn	285	290
	Hkkouxj	301	303
	jktdkV	300	299
	lwjr	278	282
	oMknjk	282	283
gfj;k.kk	Qjhnkckn	280	283
	;equkuxj	304	302
fgekpy	fgekpy çns'k	274	275
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	281	285
>kj[k.M	ckdkjk	308	307
	fxfjMhg	349	351
	te'kniqj	365	364
	>fj;k	371	370
	dksMek	391	390
	jkph gfV;k	396	398
dukVd	cqyxke	312	309
	cqxyqj#	299	299
	gcyh /kkjokM+	342	345
	ejdjk	313	312
	esyqj	318	316
dqjy	,.kkdqye@vyobZ	322	322
	eq.MkD;ke	320	320
	fDoyku	372	362
e/; çns'k	Hkksiky	336	336
	fNUnokM+k	314	316
	bUnkSj	289	291
	tcyiqj	326	326

jkT;	dn	tykbZ 2019	vxLr 2019
महाराष्ट्र	मुम्बई	312	313
	ukxiqj	403	403
	ukfld	362	364
	iq.k	351	353
	'kksykiqj	335	341
mMhlk	vkSxqy&rkypqj	335	336
	jkmjdsyk	319	319
ikfMpfj	ikfMpfj	324	320
iatkc	vejr	342	349
	tkyU/kj	325	325
	ywf/k;kuk	298	298
jktLFkku	vtesj	294	295
	HkhyokM+k	298	301
	t;iqj	320	322
rfeyukMq	pSUuS	286	286
	dk;EcVwj	287	286
	dksUuwj	339	338
	enqjkbZ	302	304
	lsye	300	298
	fr#fpjkiYyh	305	303
rsyaxkuk	xkUnkojh[kkuh	343	338
	gnjkckn	270	269
	okjaxy	326	325
f=iqjk	f=iqjk	267	268
mÿkj çns'k	vkxjk	365	366
	xkft;kckn	340	343
	dkuiqj	348	351
	y[kuÅ	346	350
	okjk.klh	340	341
if'pe cxky	vklulkSy	344	345
	nkftZfyax	278	279
	nqxkiqj	332	331
	gfYn;k	362	363
	gkoM+k	294	296
	tkyikbZxqM+h	288	289
	dksydkrk	291	292
	jkuhxat	296	296
	flyhxqM+h	287	291
vf[ky Hkkjrh; lpdkd		**319**	**320**

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  ~~आइएफसीकोड~~ : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्कः** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com
  फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

दिल्ली में डब्ल्यू.एफ.टी.यू. दिवस 2019

सीटू महासचिव तपन सेन 3 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में डब्ल्यू.एफ.टी.यू. दिवस पर बैठक को संबोधित कर रहे हैं। डब्ल्यू.एफ.टी.यू. के उप महासचिव एस. देव रॉय भी भारत में सभी डब्ल्यू. एफ.टी.यू. सहयोगियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भाग ले रहे हैं।

एम.पी.एस. मजदूरों की जीत

(रिपोर्ट पृ. 11)

रैली

जीत का जश्न मनाते हुए

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication -05/11/2019)

एच.ए.एल. में अनिश्चितकालीन हड़ताल

(रिपोर्ट पृ. 18)

(बाँऐं) ***नासिक में एक रैली;*** *(दाँऐं)* ***लखनऊ में एच.ए.एल. के हड़ताली मजदूरों को सम्बोधित करते सीटू नेता राहुल मिश्रा***

तमिलनाडु में बीपीसीएल के मजदूरों का आंदोलन *(रिपोर्ट पृ. 17)*

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : **के हेमलता**